कृष्ण कुमार बाबरी (मृतक) वारिसान
श्रीमती चन्द्रकांता आदि विरूद्ध म.प्र. शासन आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – अपील 216–दो/07 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–1–15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के जिस आदेश को आधार बनाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम इन्द्राज करने हेतु जो आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, अपर आयुक्त के उस आदेश के विरूद्ध म0प्र0 शासन की ओर से आवेदक के विरूद्ध इस न्यायालय में निग0 2041–तीन/2000 पेश की गई है जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22–1–15 को आदेश पारित करते हुए निगरानी निरस्त की जाकर अपर आयुक्त के आदेश को स्थिर रखा गया है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वह स्थिर नहीं रखे जा सकते, अतः उन्हें निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे आवेदक का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकित करें । निगरानी स्वीकार की जाती है । सदस्य	

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 1 Rs. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2006–07 निगरानी

कृष्ण कुमार बावरी पुत्र श्री लक्ष्मी कुमार बावरी आयु व्यवसाय व्यापार निवासी सराफा बाजार लश्कर ग्वालियर

—— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन महोदय द्वारा कलेक्टर भिण्ड

—— अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांकी 24–11–06 पारित द्वारा डा0 एम0गीता अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 214/05–06 अपील जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड का आदेश दिनांकी 13–10–05 प्रकरण कमांक 19/04–05 अपील माल की पुष्टि की गई।

माननीय महोदय,

आवेदक की पुनरीक्षण याचिका निम्नांकित प्रस्तुत है :–

<u>संक्षिप्त तथ्य</u>

1– यहकि, आवेदक के पिता श्री लक्ष्मी कुमार बावरी पुत्र श्री निवास दास बावरी जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ताखानदान थे तथा संयुक्त हिन्दू परिवार की फर्म श्रीराम सीताराम है के कर्ताखान थे।

2– यहकि, संयुक्त हिन्दूपरिवार की फर्म की भूमि स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 920 रकवा 0.418 हेक्टर सर्वे कमांक 921 रकवा 2.759 स्थित ग्राम भिण्ड की थी तथा उक्त भूमि संवत् 2007 में कारखानेदार गैर मौरूसी कृषक के रूप में दर्ज है। सर्वे कमांक 920 संवत् 2007 में जरिये एहतमाम तहसील डिपार्टमेन्ट मालिक के खाने दर्ज है तथा सर्वे कमांक 921 की मालिक राधाबाई बेबा केशव भट्ट मालिक दर्ज है संवत् 2007 में उक्त भूमि सर्वे कमांक 921 सरकारी भूमि नहीं थी उक्त दोनों नम्बरों पर लक्ष्मी कुमार बावरी गैर मौरूसी के रूप में दर्ज थे और दोनों भूमियां आबादी की थी।

3– यहकि, उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में कलेक्टर भिण्ड द्वारा तथाकथित लीज बताकर प्रार्थी के पिता के विरूद्ध स्वमेव निगरानी में कार्यवाही की गई तथा उक्त आदेश के विरूद्ध सन् 1973 में अपर आयुक्त ग्वालियर के यहां निगरानी प्रस्तुत की गई उक्त निगरानी में अपर आयुक्त ग्वालियर ने कलेक्टर का आदेश निरस्त किया था उक्त

1. Call for records
2. Notice to N.A.
3. Link with the main case which has come back from the HC.

1/12/07